न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 119/2023

1 मेहरचंद उम्र 62 साल पुत्र मदाराम जाति मेघवाल निवासी चारणवास उर्फ सुल्तानसर तहसील व जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरफूल सिंह उम्र 75 साल पुत्र मदाराम जाति मेघवाल निवासी चरणवास तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
2 मुकेश उम्र 35 साल पुत्र स्व. श्रवण
3 हरपाल सिंह उम्र 32 साल पुत्र स्व. श्रवण
4 चांदकौर पत्नी स्व. श्रवण जाति मेघवाल निवासी चरणवास तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
5 कल्याणसिंह पुत्र मोहनदान
6 जगवीर सिंह पुत्र मोहनदान
7 जयदेव सिंह पुत्र नानूसिंह
8 मदनसिंह पुत्र गनपत सिंह
9 राजपाल सिंह पुत्र मोहनदान
10 शक्तिसिंह पुत्र गनपत सिंह
11 सहदेव पुत्र नानूसिंह
जाति चारण निवासी चरणवास तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
12 राजस्थान सरकार सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.07.2023 प्रकरण संख्या 66/2020 उपखंड अधिकारी झुन्झुनू शीर्षक मेहरचंद बनाम हरफुलसिंह अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि.

उपस्थिति :

1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 66/2020 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 63, 64, 65, 66, 67 वाके ग्राम चारणवास उर्फ सुल्तानसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.07.2023 को उभयपक्ष को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति हेतु पाबंद कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट वादी ने विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी झुन्झुनू में एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया था उसके साथ अपीलांट ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी इस आशय का पेश किया गया था कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदक नम्बर 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह दौराने वाद झुन्झुनू से चिड़ावा जाने वाली रोड़ के दक्षिण में स्थिति भुमि खसरा नम्बर 63 व 64 की भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे विक्रय नहीं करे उसकी किस्म परिवर्तन नहीं करे आवेदक के कब्जा काश्त में बाधा नहीं डाले इसके बाद अनावेदक नम्बर 1 द्वारा टी.आई का जवाब देने के बाद दिनांक 16.08.2022 को विचारण न्यायालय ने आगामी आदेश तक भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था। इसके बाद दिनांक 20.07.2023 को दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक 16.08.2022 को परिवर्तित कर मौका की स्थिति को यथावत बनाये रखने के बिंदु को खारिज कर मात्र रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिया गया। चूंकि अनावेदक रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 विवादित आराजी खसरा नम्बर 64 में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर निर्माण करने हेतु उक्त आदेश में फेरबदल किया गया है जबकि दौराने वाद भूमि कि किस्म परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती चूकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने भूमि खसरा नम्बर 64 में पूर्व में ही रिहायस मकानात बना रखे है परन्तु इस आदेश में परिवर्तन करने के बाद अब युद्धस्तर पर निर्माण कार्य कर रहा है जिसका कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने मौके की स्थिति के बिंदु को खारिज करने का कोई कारण अपने आदेश में दर्शित नहीं किया है जबकि अनावेदक नम्बर 1 विवादित आराजी की किस्म को परिवर्तन करने के लिए पूर्व में भी पर्याप्त किया है। जिसके लिए आवेदक अपीलांट द्वारा पूर्व में दिनांक 20.06.2022 में इस आशय का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था कि अनावेदक नम्बर 1 विवादित आराजी में निर्माण कार्य कर रहा है जबकि बंटवारे का दावा चल रहा है। उसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने मौके की स्थिति को परिवर्तन करने कि इजाजत नहीं दी जा सकती पूर्व आदेश में मौके की स्थिति को यथावत रखने के आदेश को खारिज करते ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 विवादित आराजी में जबरन रूप से निर्माण कार्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कर रहा है व भूमि में हरे पेड़ काट रहा है इसकी सूचना आवेदक के लड़के द्वारा पुलिसा थाना बगड़ में भी दिनांक 01.08.2023 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसकी कम्पलेंट दर्ज कर जांच चालू की गई इस प्रकार न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को कानून हाथ में रखने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। इससे पूर्व भी आवेदक अपीलांट के लड़के ब्रह्मानन्द द्वारा दिनांक 22.06.2023 को स्थिति परिवर्तन करने कि शिकायत थाना बगड़ में दे चूका है इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 भूमि में जबरन निर्माण कार्य कर रहा है हरे पेड़ काट रहा है उनको मौके पर पाबंद नहीं किया गया तो मौके पर कोई भारी झगड़ा होने की सम्भावना है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 212 का जवाब प्रस्तुत करने के बाद दोनों पक्षों कि अंतिम रूप से बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 20.07.2023 में प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारण न कर पत्रावली में आगामी पेशी 06.09.2023 को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र में रखी गई है जबकि अनावेदक ने पूर्व में टी.आई. का जवाब दिया जा चूका है इसलिए पूर्व आदेश दिनांक 16.08.2022 पर न सुन कर अंतिम रूप से प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था। ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट का धारा 212 का आवेदन विचाराधीन है। उभयपक्ष का जवाब प्राप्त किया जाकर बाद सुनवाई अन्तिम निर्णय किया जाना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस स्तर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट का धारा 212 का आवेदन विचाराधीन है। उभयपक्ष का जवाब प्राप्त किया जाकर बाद सुनवाई अन्तिम निर्णय किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाना शेष है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस स्तर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है किन्तु प्रकरण में माननीय मण्डल द्वारा वाद बाहुल्यता रोकने के लिए अंतरिम रूप से मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है। इसे दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उभयपक्ष को ताफैसला आवेदन धारा 212 विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष लंबित आवेदन धारा 212 का अंतिम निस्तारण 2 माह में किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर